

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम :- माननीय मु०मं० घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

माननीय मु०मं० घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य की स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक संख्या 1190/111(2)/16-44(एम०एल०ए०)/2015, दिनांक 03/03/2016 द्वारा 4.00 किमी० रू० 144.40लाख स्वीकृत हुआ है। जिसमें 9.00 मीटर चौड़ाई के अनुसार राज्य भूमि 0.900हे०, नाप भूमि 2.700हे० प्रभावित होती है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से सलमोड़ा, मूलागाड़, गढ़ान की कुल जनसंख्या 427 लाभान्वित होगी। वैकल्पिक समरेखण में प्रभावित होने वाली 0.900हे० राज्य वन भूमि न्यूनतम है जो उपयुक्त समरेखण है।

1- राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष राज्य भूमि क्षेत्र लगभग 60 प्रतिशत है। जबकि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में कम प्रतिशत ही राज्य भूमि का क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो कि औचित्य पूर्ण है।

2- दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने एवं काश्तकारों के छोटे-छोटे भागों में भू-स्वामित्व होने के कारण मोटर मार्ग को सम्पूर्ण लम्बाई में नाप भूमि में बनाया जाना सम्भव नहीं है।

3- इस मोटर मार्ग के निर्माण से वन विभाग को आरक्षित वन क्षेत्र की निगरानी में सहूलियत हुई।

4- दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण दो से अधिक विकल्पों में विचार किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है दो समरेखणों में सर्वेक्षण करने के पश्चात भू-वैज्ञानिक के रिपोर्ट, मोटर मार्ग की लं० कम होने, अधिक जनसंख्या लाभान्वित होने, वृक्षों से कम प्रभावित होने तथा उत्सर्जित मलवे की मात्रा कम होने के कारण एक मात्र यही समरेखण मोटर मार्ग निर्माण हेतु सबसे उपयुक्त पाया गया।

अतः प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति उपरान्त मार्ग का कार्य किया जाना सम्भव होगा। जिस हेतु प्रस्ताव भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं। ताकि मार्ग का निर्माण कार्य किया जा सके।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो. नि. वि.

पिथौरागढ़

G. S. M.

अधिसूचि अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ़